

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

कार्यालय आदेश संख्या 212 / 2025
Office Order No. 212 / 2025

पूर्व में जारी किए कार्यालय आदेश संख्या 4 5 7 / 2 0 2 4 दिनांक 31.12.2024 को अधिकांत करते हुए संयुक्त विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़, मुंबई को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत केंजसूअ, सीपज़-सेज़ के आदेशों के विरुद्ध फ़ाइल किए जाने वाली अपील संबंधी मामलों को निश्चित करने हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

In supersession of earlier Office Order No. 457 / 2024 dated 31.12.2024, Joint Development Commissioner, SEEPZ-SEZ, Mumbai is hereby nominated as 1st Appellate Authority to decide appeal cases filed against the orders of CPIO, SEEPZ-SEZ under Section 19(1) of RTI Act, 2005.

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील, भा. प्र. से.)
विकास आयुक्त,
सीपज़-सेज़

F. No. SEEPZ-SEZ/ADMIN/10/2001-02/Vol-V/

Date:- 17.06.2025

08274

प्रतिलिपि:-

1. सभी अधिकारी / कर्मचारी, सीपज़-सेज़
2. कार्यालय आदेश रजिस्टर / फाइल
3. विआका/संविआका/उविआका/विअ
4. सीपज़ वेबसाइट